प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
[illegible]

पत्रांक–आ0शु/ 4568 /2005–06 दिनांक– 19-9-2005

विषय–प्राथमिक स्तर (कक्षा–1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उक्त विषयक के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 984/15069010(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1998 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति लखनऊ आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा–1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षासत्र से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है।

1. विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत रहे।
2. प्राभूत/सुरक्षित कोष के निमित्त अपेक्षित धनराशि बैंक/पो0आ0 में जमा एवं अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक रहे।
3. विद्यालय का निजी भवन हो एवं प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षो/क्रीड़ास्थल की व्यवस्था मानक के अनुसार की जाय।
4. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
5. अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन से इस कार्यालय की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जाय।
6. विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण/शिक्षण सामग्री/विज्ञान सामग्री/क्रीड़ा सामग्री की व्यवस्था की जाय।
7. विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अनुकूल शुल्क लिया जाय।
8. शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय।
9. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

विद्यालय को अस्थाई मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है कि प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासनादेश संख्या 1873/15069818 एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 98 के अनुसार (5वर्ष में) स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय,

(डा0 [illegible] सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0–आशु0लि0/ 2005–06, दिनांक–वही।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
2. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी,लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
5. नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।

(डा0 [illegible] सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

SWARNIM PUBLIC SCHOOL
MANAGER

SWARNIM PUBLIC SCHOOL
Principal

Office of the District Basic Education Officer

LUCKNOW

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SWARNIM PUBLIC SCHOOL,PARA ROAD RAJAJIPURAM LUCKNOW** permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to SWARNIM PUBLI SCHOOL is **7244/2020-2021.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexe

2. DATE OF ISSUE	23-01-2026(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	7244/2020-2021
6. Medium	English

SWARNIM PUBLIC SCHOOL MANAGER

SWARNIM PUBLIC SCHOOL Principal

DATE:- 23-01-2026

PLACE:- LUCKNOW

District Basic Education Officer

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026-01-23 11:26:12
Reason: For Digital Signature
Location: LUCKNOW